न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या 48/2019(2019/00248)

1. रमेश पुत्र श्री मोडूराम मीणा जाति मीणा।
2. राकेश पुत्र श्री मोडूराम मीणा जाति मीणा।
   निवासीगण गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. रामा पुत्र मोडू जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा केकडी।
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा केकडी।

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राज. अधि.

उपस्थित:–

1. **मिठू सिंह राठौड–वकील प्रार्थी**
2. **पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर।**

–:: निर्णय ::– **दिनांक–** 03.06.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद वर्णित आराजी ग्राम गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा(हैक्टर)	किस्म
223–205	206 207 208	0.32 0.03 0.36	चाही 1 जाव 1 गै.मु.चाह चाही 1
	कुल किता 3	कुल रकवा 0.71	

वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जिसमे दोनों का बराबर–बराबर हक हिस्सा अधिकार है। उपरोक्त आराजीयात की जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या नया–पुराना 200–203 में वादीगणकी खातेदारी में नाबालिग का अंकन हो रखा है जिसे वादीगण द्वारा बालिग होने से हटवाया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 507 दिनांक 10.7.2011 का अंकन हो रखा है तत्पश्चात् वादीगण ने संयुक्त रूप बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा केकडी से ऋण लिया, जिसका नामान्तरण संख्या 524 दिनांक 15.12.2011 से दर्ज है। जो वादीगण से संयुक्त खातेदारी एवं खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 2 व इसके अधीन राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एवं विधिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरित जाकर बिना सक्षम व्यक्ति या अधिकारी के आदेश के ही जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में वादीगण के साथ रामा पुत्र मोडू अजनबी व्यक्ति को खातदार वैध गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के रहन होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 ने गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया तथा वर्तमान अन्तिम चौसला आधार जमाबन्दी संख्या 2070 से 2073 में वादीगण के साथ अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 जिससे वादीगण ने कभी भी ऋण नही लिया है के नाम रहन दर्ज गैर कानूनी अवैध रूप से ... दिया है जबकि वादीगण के रामा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पुत्र मोड़ू नाम का व्यक्ति परिवार मे ही नही है ना गाव गिरवरपुरा मे है वादीगण ने किसी प्रकार से अन्तरण, हस्तान्तरण भी किसी दीगर व्यक्ति या अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 को किया है तथा जमाबन्दी मे वादी संख्या 1 का 1/3 वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज गलत, अवैध गैर कानूनी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 के नाम गलत रहन दर्ज कर रखा है तथा वादीगण के पिता का नाम मोडूराम होते हुए केवल मोड़ू गलत अंकन कर रखा है जो कतई गलत, गैर कानूनी एवं अवैध है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 अजनबी व्यक्ति को वाद वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार का हक, अधिकार उत्पन्न नही होता है ना ही प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम रहन का अंकन गलत कर रखा है जबकि वादीगण ने किसी प्रकार का ऋण प्रतिवादी संख्या 3 से नही ले रखा है उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को राजस्व रिकोर्ड की नकलें लेने पर दिनांक 30.1.2019 को वर्तमान राजस्व रिकोर्ड देखा तब जानकारी हुई तत्पश्चात वादीगण राजस्व रिकोर्ड की नकलें 27.2.2019 व 8.3.2019 को लेने पर पूर्ण जानकारी हुई जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज करने का कनूनन हक अधिकार है परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एवं विधिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत जाकर उन्होंने गलत इन्द्राजात वर्तमान जमाबन्दी में कर रखा है जो कतई गैर कानूनी एवं अवैध है जिन्हे इन्द्राज दुरूस्त हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 8.3.2019 को दुरूस्त करने हेतु वादी ने निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण को कोर्ट में दावा करके दुरूस्त करवाने, हम दुरूस्त नही कर सकते है अतः वाद वर्णित आराजी का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अजनबी व्यक्ति का 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 3 के यहा गलत रहन दर्ज है को खातेदारी से विलोपित किया जाकर वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना तथा वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 4 से ऋण ले रखा है के नाम रहन का अंकन किया जाना तथा वादीगण के पिता का नाम मोडू के स्थान पर मोडूराम दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है अतः वाद पत्र वाद वर्णित आराजीयात का इन्द्राज दुरूस्त करके वादीगण को अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वर्तमान रिकोर्ड में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 के गलत दर्ज कर रखा है को दुरूस्त करके प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दज किया जाने हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार इन्द्राज दुरूस्त करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा मय रहन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकन को विलोपित किया जाकर एवं वादीगण के पिता का नाम मोडू के स्थान पर मोडूराम दर्ज किया जाकर 1/3 हिस्से का वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वादीगण की आराजी का रहन गलत दर्ज है को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा वादी संख्या 1 को 1/2 तथा वादी संख्या 2 को 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज किया जाने का निवेदन अपने वाद पत्र में किया।

पत्रावली न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4 को सम्मन तामिली होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जो जवाब निम्नानुसार है:–

ग्राम गिरवरपुरा की वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 100 के खसरा नंबर साबिक 293 रकबा 3.10 बिस्वा, 4बीघा, 04बिस्वा जर्ये रजि. विक्रय पत्र से नामान्तरण संख्या 181 दिनांक 3.9.1985 से खातेदार के स्थान पर राकेश, रमेश पिता मोडूराम नाबालिक बसरसाई मोडू पिता कौम मीणा सा.देह खातेदार दर्ज है ग्राम गिरवरपुरा की आधार जमाबंदी के खाता संख्या 164 में हाल खसरा नंबर मुताबिक क्षेत्रफल के 206,207,208 किता 03 रकबा 0.71 हैक्टर राकेश, रमेश पिता मोडूराम नामान्तरण जर्ये वली पिता खुद कौम मीणा सा.देह खातेदार दर्ज [illegible] सम्वत 2070–73 में खाता संख्या 205 में खसरा नंबर 206,207,208 किता 03 रकबा 0.71 में [illegible] श रामा पिता मोडू कौम मीणा सा.देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खातेदार दर्ज हो गया। अतः वर्तमान जमाबंदी में राकेश, रमेश, रामा पिता मोडू के स्थान पर राकेश, रमेश पिता मोडूराम कौम मीणा सा.देह खातेदार किया जाना उचित है।

शहादत वादी में गवाह श्री रमेश पी.डब्ल्यू 1 का शपथ पत्र व गवाह श्री राकेश पी.डब्ल्यू 2 के बयान कराये गये, जिसमे प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2070–73, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2070–73, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् 2066–69, प्रदर्श–4 संवत् 2062–65 है जमाबंदी प्रदर्श–5 संवत् 2058–61, प्रदर्श–6 संवत 2041 वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–पी–7 नामान्तरण, प्रदर्श पी–8, नामान्तरण बी.ओ.बी शाखा केकड़ी प्रदर्श पी–9 नामान्तरण नाबालिग से बालिग का, प्रदर्श.पी.10 मिलान क्षेत्र प्रदर्श कराये। शहादत वादी प्रस्तुत नही किये जाने से शहादतवादी बन्द की जाती है पक्षकारान की बहस सुनी गई।

–:आदेशः–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण का वादपत्र अर्न्तगत 88,89,209 राज काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है ग्राम गिरवरपुरा तहसील सावर के खाता संख्या नया–पुराना 223–205 के कुल किता 3, कुल रकबा 0.71हैक्टर मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज 1/3 हिस्सा मय रहन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकन का विलोपित किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज अंकन किया जावे तथा वादीगण के प्रत्येक का हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 3 के राहिन है जो गलत अंकन किया गया है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के प्रत्येक का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राहिन किया जावे तथा वादीगण के पिता का नाम मोडू के स्थान मोडूराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार सावर खाता दुरूस्ती की कार्यवाही करे। बाकी इन्द्राज यथावत रखे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner